

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 131/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री कृष्णा सागर दास, पिता-नेपाली सागर दास, ग्राम- धरहरा, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञापत्र पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञापत्र संख्या 01/1983 (मुरलीगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छ की गई थी।

श्री कृष्णा सागर दास के पुत्र श्री नवल किशोर "विमल", पिता- स्व० कृष्ण सागर दास, ग्राम-धरहरा, पो०-अमरपुरा, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- कृष्णा सागर दास की मृत्यु दिनांक 07-02-2012 को हो चुकी है और शस्त्र दिनांक 20-03-2012 से बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत श्री कृष्णा सागर दास, पिता- नेपाली सागर दास, ग्राम- धरहरा, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञापत्र संख्या 01/1983 (मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री नवल किशोर "विमल"को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्व० पिता कृष्णा सागर दास को प्राप्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञापत्र संख्या 01/1983 (मुरलीगंज थाना) मूल अनुज्ञापत्र पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञापत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे० बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व० कृष्णा सागर दास का एक दो नाली बन्दूक ए 1888 सिम्बॉल डी०/३ जो रसीद संख्या- 38, दिनांक 17-03-2012 से आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञापत्रधारी कृष्णा सागर दास के पुत्र श्री नवल किशोर "विमल"द्वारा एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञापत्र संख्या 01/1983 (मुरलीगंज थाना) की मूल अनुज्ञापत्र पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

र०
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक.....44...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....14-02-2014.....

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/ मे० बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री नवल किशोर "विमल", पिता- स्व० कृष्ण सागर दास, ग्राम-धरहरा, पो०-अमरपुरा, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

0
14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा